

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा (छ0ग0) एवं पदेन उपसचिव छ0ग0 शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

--: अधिसूचना ::--

क्रमांक / 2506 / भू-अर्जन / 2026

कोरबा, दिनांक 19/02/2026

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि की पुटुवा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—

अनुसूची

भूमि का वर्णन—

1. जिला — कोरबा
2. तहसील — पोंड़ी उपरोड़ा
3. ग्राम — पुटुवा
4. भूमि का क्षेत्रफल— 1.604 हे.


क्रमांक	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
1	35	0.306
2	72/2	0.185
3	164	0.177
4	184, 185	0.101
5	186	0.020
6	238	0.413
7	71/1	0.020
8	72/1	0.141
9	235/4	0.028
10	235/5	0.036
11	235/6	0.032
12	183/1	0.024
13	183/2	0.024
14	183/3	0.024
15	183/4	0.036
16	183/5	0.036
योग:—	16	1.604

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(रा.) पोंड़ी उपरोड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
पोंड़ी उपरोड़ा


(कुणाल दुदावित)
कलेक्टर,
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग